चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 06.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 06.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में महाकुंम्भ 2025 प्रयागराज को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत एवं शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग तथा बार्डर पर बैरियर लगाकर संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेंकिग की गयी।

(3). आज दिनाँक 06.03.025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा थाना पहाड़ी परिसर में स्थित नवनिर्मित मंदिर में विधि विधान से शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गयी।
पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि अपने अधीनस्थों एवं थाना क्षेत्र के सभ्रान्त व्यक्तियों के विचारों से थाना परिसर में नवनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराई गई है जिसके उपरान्त थाना पहाड़ी के पुलिस परिवार व आस पास के आम नागरिकों को अपनी श्रद्धापूर्वक पूजा पाठ करने अधिक दूर नही जाना पडेगा।
इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी,क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जय करन सिंह,प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह,पीआरओ श्री प्रदीप पाल व थाना क्षेत्र के सभ्रान्त व्यक्तियों सहित अन्य पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहें।
(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि के पर्यवेक्षण में यातायात नियमों कड़ाई से पालन कराए जाने हेतु प्रभारी यातायात श्री शैलेन्द्र सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बिना हेलमेट के आने वाले 09 पुलिस कर्मियों के वाहनों पर प्रवर्तन कार्यवाही (ई-चालान) करते हुए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 210 B के अन्तर्गत दो गुना अर्थदण्ड (20000/-)अधिरोपित किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय का सख्त आदेश है कि कोई भी कर्मी या आम व्यक्ति बिना हेलमेट के कार्यालय में न आए बिना हेलमेट कार्यालय में प्रवेश पूर्णतः वर्जित है।
(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी उपेंद्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रशांत व मॉनिटरिंग सेल टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चित्रकूट श्री अनुराग कुरील द्वारा आज दिनाँक 13.02.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 215/013 धारा 307,34 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त पप्पू उर्फ कृष्णा उर्फ बालकृष्ण पुत्र जुग्गीलाल राजपूत निवासी चिजली खेडा राजपूत नगर थाना कोतावाली बांदा जनपद बांदा को 05 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
संक्षिप्त विवरण-
दिनाँक 06.03.013 को वादी शैलेन्द्र उर्फ बउवा निवासी आरोग्यधाम रामनगर चित्रकूट थाना नयागांव द्वारा कोतवाली कर्वी पर सूचना दी कि अभियुक्त पप्पू उर्फ कृष्णा उर्फ बालकृष्ण उपरोक्त शराब पिलाने के बहाने वादी को ले गया और उसकी गर्दन पर जान से मारने की नियत से गोली मार दी जिससे प्रार्थी गंभीर रुप से घायल हो गया,मरते मरते बचा। इस सूचना पर कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 215/013 धारा 307/34 भादवि0 पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री मथुरा प्रसाद पाल द्वारा सम्पादित की गयी। दिनाँक 10.04.013 को आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध दिनाँक 12.04.013 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेंद्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज (सी0डि0)एफटीसी सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा आज दिनाँक 12.02.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 एनसीआर नं0 35/2011 धारा 323,504 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. रामकिशोर पुत्र गुलाब प्रजापति 2. श्रीमती हीरामनी पत्नी स्व0 बालकिशन निवासी इटखरी कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 3000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री मनोज कुमार एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी मो0 आरिफ द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री बृजमोहन द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्रकूट श्री राजेन्द्र प्रसाद भारती द्वारा आज दिनांक 06.03.2025 को कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 35/2020 धारा 147,323 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त1.सहदू पुत्र राजा 2. मुलायम पुत्र मुन्ना 3.भरतलाल पुत्र मुन्ना 4.बडढा उर्फ जयकरन पुत्र सहदू 5.लक्कू उर्फ राजनारायण पुत्र सहदू 6. मुन्ना पुत्र राजा 7. बाबू पुत्र मुन्ना निवासी गण भारतपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 10,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।